




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp




Certificate No. : IN-UP50253998116570T
 Certificate Issued Date : 29-Nov-2021 05:32:PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ KANPUR/ UP-KNP
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0190461870754419T
 Purchased by : CHANDRA SHEKHAR GUPTA AND MAMTA GUPTA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : FLAT NO-H-202,KDA SIGNATURE GREENS,VIKAS NAGAR,KANPUR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
 Second Party : CHANDRA SHEKHAR GUPTA AND MAMTA GUPTA
 Stamp Duty Paid By : CHANDRA SHEKHAR GUPTA AND MAMTA GUPTA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,22,000
 (Four Lakh Twenty Two Thousand only)


2021/11/29 08:49:06 9400



Please write or type below this line



Handwritten signature



Handwritten initials

QT 0006540102

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4
3
2
1






हम, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर एवम् श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता एवं श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी-बी-2 जज कम्पाउन्ड सदर झॉसी उ०प्र० आज दिनांक 30.11.21.....को आगे उल्लिखित/प्रिन्टेड शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक फ्री-होल्ड डीड को निष्पादित करते हैं एवम् रू० 4,22,000/-की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान "इन स्टैम्प पत्रों के माध्यम से" कर चुके हैं, जो विलेख के साथ संलग्न हैं।

विलेख तैयार कर्ता,


एस०डी०सी०





Mamta Gupta




कार्यालय : श्रीमान उपनिबन्धक जोन- कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक : 30.11.21
 2. निष्पादन दिनांक : 30.11.21
 3. लेखपत्र का प्रकार व अवधि : फ्री-होल्ड डीड
 4. बाजारी/सरकारी मूल्य : रूपया
 5. विक्रेता का नाम : कानपुर विकास प्राधिकरण
 6. क्रेता का नाम : श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता एवं श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी-बी-2 जज कम्पाउन्ड सदर झॉसी उ0प्र0।
- पैन कार्ड संख्या : AARPG7820M / AFYPG9275Q
7. आधार कार्ड संख्या : 8275 3386 3917 / 5940 5830 2341

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1. स्थान : सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर
2. भवन/फ्लैट संख्या : फ्लैट संख्या एच-202 (03बी0एच0के0)
योजना के0डी0ए0 सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर
नगर स्थित द्वितीय तल
3. फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल : 128.80 वर्गमी0
4. फ्लैट का अनुपातिक अवभिजित
भाग भूमि क्षेत्रफल : 42.88 वर्गमी0
5. सीमा से सड़क की चौड़ाई : 6.00 मीटर चौड़ी सड़क
6. भू-प्रयोग : आवासीय
7. भवन के तलों की संख्या : स्टिंल्ड + ग्यारह तल
8. निर्माण की अवधि : नवनिर्मित

सम्पूर्ण भवन की चतुर्दिक सीमायें

- पूरब : 6.00 मी0 वाइड रोड
पश्चिम : 6.00 मी0 वाइड रोड
उत्तर : ब्लाक सं0-जी
दक्षिण : ब्लाक सं0-आई

विक्रीत फ्लैट की चतुर्दिक सीमायें

- पूरब : 6.00 मी0 वाइड रोड
पश्चिम : फ्लैट संख्या एच-203
उत्तर : फ्लैट संख्या एच-201
दक्षिण : ब्लाक सं0-आई

gn

A

Moumita Gupta

Moumita Gupta



(2)

अन्य विवरण

विक्रीत सम्पत्ति वास्तव में आवासीय है तथा विक्रीत सम्पत्ति नजूल की भूमि पर स्थित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति/सम्पूर्ण भवन के सामने पार्क नहीं है। भवन की दो सीमाओं में सड़क नहीं है, जो कि विक्रीत सम्पत्ति के अनुरूप है।

भुगतान की गयी धनराशि का विवरण


भूमि दर	: रू0 32,500.00 प्र0व0मी0
1. भूमि का मूल्य	: रू0 13,93,600.00
2. निर्माण का मूल्य	: रू0 45,52,400.00
3. पी0एल0सी0	: रू0 50,000.00
4. ब्याज का मूल्य	: रू0 58,00.00
5. फ्री-होल्ड	: रू0 1,67,232.00
कुल योग	: रू0 61,69,032.00
5 प्रतिशत छूट का मूल्य (-)	: रू0 2,62,350.00
जमा अवशेष धनराशि	: रू0 59,06,682.00


आवंटन पत्र सं0 डी/1474/ओ0एस0डी-1/का0वि0प्रा0/2016-17 दिनांक 26.11.2016

(आवंटी को कब्जा दिये जाने का प्रस्ताव इस विलेख के निष्पादन से पूर्व नहीं किया गया है, वास्तविक कब्जा इस विलेख के निष्पादन के बाद हस्तांतरित किया जायेगा। अतः स्टैम्प शुल्क की अदायगी उ0प्र0 शासन, कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 के शासनादेश सं0का0 नि0-7-440/11-2015-700 (111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के अन्तर्गत किया जा रहा है)

शासनादेश सं0 645/9-आ-2-2001 दिनांक 08.03.2001 के अनुसार "प्राधिकरणों के द्वारा आवंटियों के पक्ष में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री किये जाने के समय सम्बन्धित आवंटी की पत्नी अथवा पति जैसी स्थिति हो का नाम रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से डाला जाय, जब तक कि विवाह विच्छेद न हो चुका हो।" संदर्भित प्रकरण में आवंटी द्वारा उक्त सम्पत्ति में 50 प्रतिशत हिस्सा अपनी पत्नी श्रीमती ममता गुप्ता के नाम एवं 50 प्रतिशत में अपने नाम से निबन्धन किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में विधिक राय प्राप्त की गई। विधि अधिकारी की आख्या दिनांक 30.11.2021 के अनुसार शासनादेश के आलोक में आवंटित सम्पत्ति के फ्री-होल्ड विलेख में 50 प्रतिशत हिस्सा पति एवं 50 प्रतिशत हिस्सा पत्नी के नाम उल्लेख किये जाने हेतु।

नोट :- क्रेता द्वारा प्लैट के कुल कीमत रू0 61,69,032.00 पर मुबलिग 4,22,000/-रू0 का स्टाम्प के द्वारा अदा किया गया है।




Mamta Gupta



विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज कानपुर नगर में:-

कानपुर विकास प्राधिकरण स्थित मोतीझील, कानपुर नगर जरिये प्रमारी अधिकारी (बल्क सेल) कानपुर विकास प्राधिकरण, जिन्हे इस विक्रय पत्र में शब्द 'विक्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री राधे श्याम गुप्ता एवं श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी-बी-2 जज कम्पाउण्ड सदर झॉसी उ०प्र०।

जिन्हे इस विक्रय पत्र में शब्द 'क्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

-----क्रेता

के मध्य निष्पादित किया गया।

विदित हो कि विक्रेता, फ्लैट नम्बर एच-202 (3बी०एच०के०) स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर नगर आच्छादित क्षेत्रफल 128.80 वर्गमी० क्षेत्रफल पर निर्मित है। मय अवभिजित भाग भूमि क्षेत्रफल 42.88 वर्गमी० जिसका पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमायें इस विक्रय पत्र के प्रारम्भ में ऊपर वर्णित है तथा जिसे संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, मय भवन में उपलब्ध शामिल शरीक सुविधायें भी सम्मिलित है, का निर्माण विक्रेता द्वारा कराया गया है और वह मालिक, स्वामी, काबिज व दाखिल है और उसे उक्त वर्णित फ्लैट के बावत समस्त प्रकार के हक मालिकाना हासिल है।

यह भी विदित हो कि इस विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति अर्थात फ्लैट नम्बर एच-202 (3बी०एच०के०) स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर नगर आच्छादित क्षेत्रफल 128.80 वर्गमी० क्षेत्रफल पर निर्मित है, मय अवभिजित भाग भूमि क्षेत्रफल 42.88 वर्गमी० का विक्रेता तनहा मालिक, काबिज व दाखिल है, उक्त विक्रीत फ्लैट में विक्रेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा स्वत्व वास्ता व सरोकार नहीं है और उक्त विक्रीत फ्लैट हर प्रकार से बार व भार से मुक्त व पाक व साफ है यानी कही किसी तौर पर रहन, बय हिबा व मुश्तगरक जमानत आदि में नहीं है। विक्रेता के स्वामित्व की बावत कोई विवाद किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। विक्रेता को किसी आदेश के तहत उक्त विक्रीत फ्लैट की रहन, बय आदि करने से रोका नहीं गया है। विक्रेता को बहैसियत मालिक अपने उक्त विक्रीत फ्लैट को रहन, बय आदि करने के अधिकार प्राप्त है।

son



Mamta Gupta



(4)

अतः विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में यह विक्रय पत्र निम्नानुसार लिपिबद्ध किया जा रहा है:-

1. यह कि विक्रेता ने अपने स्वामित्व वाले फ्लैट नम्बर एच-202 (3बी0एच0के0) स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर नगर जिसका पूर्ण विवरण व चतुर्दिक सीमायें इस विक्रय पत्र के प्रारम्भ में ऊपर वर्णित है तथा जिसे संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है व अन्य शामिल शरीक सुविधाओं जैसे कामन पैसेज, स्टेयर केस, शामिल प्रवेश लिफ्ट मार्ग एवं अन्य सभी कामन सुविधाओं सहित समस्त प्रकार के वाद व भारों से मुक्त, क्रेता को बकीमत मुबलिंग रू0 59,06,682.00 /-(शब्देन उनसठ लाख छः हजार छः सौ बयासी रूपया मात्र) प्राप्त करके विक्रय कर दिया तथा क्रेता को विक्रीत सम्पत्ति का कब्जा व दखल वाकई अपनी भाँति पूर्णतया खाली रूप में प्रदान कर दिया, क्रेता आज से विक्रीत सम्पत्ति का पूर्णरूपेण मालिक व स्वामी हो गया है।
2. यह कि विक्रेता ने क्रेता से सम्पूर्ण विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र के अन्त में लिखे अनुसार प्राप्त कर लिया है। अब विक्रय प्रतिफल के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है।
3. यह कि विक्रेता ने क्रेता को यह आश्वासन करा दिया है कि विक्रीत सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है, जिसमें विक्रेता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सहस्वामी यह हिस्सेदार नहीं है और कहीं किसी प्रकार बन्धक, विक्रय, दान व मुश्त गरक बजमानत आदि में नहीं है और विक्रीत सम्पत्ति के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग में विचाराधीन नहीं है और न ही विक्रीत सम्पत्ति किसी बिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम और न ही विक्रेता को आज दिन तक किसी भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि करने से रोका या मना ही किया गया है तथा विक्रेता को विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त है।
4. यह कि विक्रेता ने क्रेता को पूर्ण रूप से आश्वासन करा दिया गया है, कि विक्रेता को विक्रीत सम्पत्ति के पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये हैं व इसमें किसी को किसी किस्म की रूकावट डालने या अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है व इस विक्रय पत्र में वर्णित समस्त अधिकार क्रेता को प्राप्त हो गये हैं।
5. यह कि क्रेता को यह भी अधिकार है कि व इस विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, काबिज कागजात सरकारी में या जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो दर्ज करवा लें व अपना पृथक मकान/फ्लैट नम्बर आवंटित करा ले विक्रेता की रजामंदी व सहमति, इस विलेख के माध्यम से दी जा रही है, परन्तु इनमें होने वाले खर्चों को क्रेता स्वयं वहन करेगा, क्रेता विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त प्रकार से हाउस टैक्स, सीवेज टैक्स व अन्य सभी प्रकार के राजकीय करों आदि की अदायगी नियमित करता रहेगा।
6. यह कि उक्त आवासीय भवन की ऊपरी छत, हमेशा विक्रेता की सम्पत्ति रहेगी और विक्रेता को अधिकार होगा कि वे उक्त स्थान को जिस तरह से चाहे, अपने प्रयोग में लाये, चाहे जैसा निर्माण आदि करायें।



 



(5)

7. यह कि क्रेता को इस बात के लिए रजामन्द है कि उक्त आवासीय भवन के सम्बन्ध में कानपुर नगर निगम, कानपुर जल संस्थान अथवा अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी या स्वयत्तशासी संस्थान के द्वारा लगाये जाने वाले समस्त करो आदि को इस विक्रय विलेख के बाद में अदा करेगा तथा वह उक्त भवन की शामिल शरीक सुविधाओं वाले स्थानों के रख-रखाव आदि का खर्च भी अनुपातिक रूप में अदा करेंगे।
8. यह कि क्रेता को उक्त फ्लैट, उ०प्र० फ्लैट अधिनियम के तहत विक्रय किया गया है तथा क्रेता के उक्त फ्लैट के निर्माण व निर्माण सामग्री आदि के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्टि कर ली है तथा क्रेता ने उक्त सम्पत्ति के हर प्रकार से दोषमुक्त बन्धन मुक्त विवाद मुक्त होने का विश्वास व इत्मीनान कर लिया है।
9. यह कि क्रेता का यह दायित्व होगा कि वह अन्य फ्लैट के मालिकों के साथ एक आर०डब्लू०ए० समिति गठित करके समस्त मेंटीनेंस के दायित्वों का भार समानुपातिक आधार पर वहन करें और किसी तरह का कोई व्यवधान, गतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा तथा क्रेता फ्लैट में कोई ऐसा कार्य व निर्माण व तोड़ फोड़ नहीं करेगा जिससे भवन को किसी तरह की क्षति पैदा हो व अन्य फ्लैट स्वामियों को किसी प्रकार की असुविधा हो और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जो समाज की दृष्टि से अनैतिक व कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता हो।
10. यह कि क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि व. विक्रीत सम्पत्ति में अपना पृथक विद्युत कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन आदि उक्त भवन में लगवा ले।
11. यह कि विक्रेता न उक्त आवासीय भवन के समस्त क्रेताओं की सुविधा के लिए स्टेयर, स्टेयरकेस, ओवर हेड टैंक, पानी चढ़ाने हेतु पम्प, विद्युत व्यवस्था (कामन एरिया के लिए) बोरिंग, सीवर लाइन, मुख्य पाइनलाइन, विद्युत वायरिंग व शामिल शरीक स्थानों तथा लिफ्ट के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण उक्त भवन में संस्थापित किये हैं, जिन्हे शामिल रूप में उपयोग व उपभोग करने का अधिकार क्रेता सहित अन्य सभी क्रेताओं अन्य सभी क्रेताओं को भी होगा, परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भी सम्मिलित उपयोग व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं या स्थान पर अपने स्वामित्व का दावा कभी भी करने का अधिकारी न होगा।
12. यह कि क्रेता उक्त विक्रीत सम्पत्ति को न तो कभी किसी समय गिरायेंगे और न ही गिराये जाने के कारण उत्पन्न करेंगे और न ही उसकी क्षति कारित करेंगे और न ही उसमें अतिरिक्त निर्माण करायेंगे और न ही उसके यथास्थित निर्माण में कोई रद्दोबदल या बदलाव करेगा और न ही उसके स्थायी स्वरूप में परिवर्तन करेगा क्रेता उक्त भवन में शामिल शरीक इस्तेमाल के स्थानों, रास्तों, बरामदों, बालकनी, जीना कॉरीडोर पर कोई अवरोध उत्पन्न न ही कूड़ा करकट आदि फेकेंगे और न ही कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे उक्त भवन के अन्य लोगो को किसी तरह की कोई असुविधा हो।
13. यह कि जब तक उक्त आवासीय भवन का अस्तित्व बना रहेगा, तब तक क्रेता अविभाजित भाग भूमि का दावा नहीं करेंगे तथा इस भवन को मात्र अपने रिहायशी इस्तेमाल व उपयोग में लावेंगे और कभी भी भू-प्रयोग परिवर्तित नहीं करेंगे।



Mamta Gupta

आवेदन सं०: 202100849069400

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11027

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 6169032 स्टाम्प शुल्क- 422000 बाजारी मूल्य - 6170000 पंजीकरण शुल्क - 61700 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 61760

श्री कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शशिकान्त शशि द्वारा
जितेन्द्र कुमार अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री मुन्नू लाल
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: के०डी०ए०कानपुर नगर।




श्री, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा
शशिकान्त शशि द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
30/11/2021 एवं 06:33:04 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

जितेन्द्र कुमार अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०बी०एम०ए० उपनिबंधक जोन-२ कानपुर नगर।
उप निबंधक - सदर द्वितीय
कानपुर नगर
30/11/2021

संजय रावत सदर द्वितीय कानपुर नगर।
निबंधक लिपिक



(6)

14. यह कि प्रत्येक आन्तरिक दीवार जो विभाजक दीवार होगी, दोनो भागो के मालिकानो की शामिल दीवार होगी।
15. यह कि इस विक्रय पत्र का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है यदि स्टाम्प शुल्क आदि में कोई कमी पायी जाये जो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
16. यह कि इस विक्रय पत्र की बाध्यता, विक्रेता तथा क्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों आदि पर भी होगी।
17. यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर यदि कोई सर्विस टैक्स या अन्य कोई देनदारी है, तो देनदारी क्रेता की होगी, विक्रेता से उक्त देनदारी को कोई सरोकार नहीं होगा।
18. यह कि प्लैट का कब्जा क्रेता, विक्रेता से नियमानुसार ले लेगा, यदि क्रेता कब्जा नहीं लेता है तो प्राधिकरण नियमानुसार चौकीदारी शुल्क वसूलने का अधिकारी होगा।
19. यह कि किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
20. यदि आवंटित प्लैट का कब्जा देने में अर्जन सम्बन्धी अथवा न्यायालय प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणो से किसी प्रकार का विलम्ब होता है अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी। ऐसी दशा में आवंटी का जमाधन बिना कटौती के वापस कर दिया जायेगा।
21. यह कि क्रेता को दिये गये आवंटन पत्र के समस्त शर्ते यथावत प्रभावी रहेगी एवं क्रेता को परिचायिका विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण अनुसार पार्किंग एवं कार्पस फण्ड का भुगतान अलग से करना होगा।
22. यह कि परिसर का नाम सदैव "के०डी०ए० सिग्नेचर ग्रीन्स" ही रहेगा तथा इसे परिवर्तित करने का अधिकार क्रेता या किसी को भी नहीं होगा।

अनुसूची "ए"

विक्रय पत्र में वर्णित शामिल शरीक स्थान व सुविधाओं का विवरण:-

1. फाउण्डेशन, कालम, गरडर्स, बीम्स, सपोर्ट, मुख्य दीवारें, रास्ते, लॉबीज, जीना, मार्ग, सामने का सेटबैक, आवागमन मार्ग आदि।
2. स्टेयर, स्टेयरकेस, ओवर हेड टैंक, पानी चढ़ाने हेतु पम्प विद्युत व्यवस्था (कामन एरिया के लिए) बोरिंग, सीवर लाइन, मुख्य पाइप लाइन, उत्पापक विद्युत वायरिंग व शामिल शरीक स्थानो के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

११/३०/२१




(7)

फ्लैट सं० एच-202 (3बी0एच0के0) स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर, कानपुर नगर।

उपरोक्त के अलावा केता को संयुक्त प्रवेश मुख्य दरवाजा, शामिल शरीक जीना, जीने का रास्ता व कामन रास्ता आदि शामिल शरीक सुविधाओं के प्रयोग का अधिकारी है।

3. कॉमन लिफ्ट, दो प्रत्येक टॉवर।

इस विलेख के साक्ष्य में केता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये है जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।


केता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर गवाहान

प्राधिकरण की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत


30/11/21
84



फोटोग्राफ गवाहान

1- हस्ताक्षर 
नाम बृहमा - 19 23 44
पिता/पति का नाम श्री राधेश्याम 23 44
पता कोपला नगर
कानपुर
मोबाइल नम्बर 76 373 0550 6



2- हस्ताक्षर 
नाम विश्व सुगा (कुमारी)
पिता/पति का नाम रमेश चन्द्र सुगा
पता 357 D Block Kanpur
मोबाइल नम्बर 9935 385286



आवेदन सं०: 202100849069400

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11027

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शशिकान्त शशि के द्वारा
जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री मूत्रू लाल

निवासी: के०डी०ए०कानपुर नगर।

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1



श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता

निवासी: बी-2 जज कम्पाउण्ड सदर झांसी-39117

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 2



श्रीमती ममता गुप्ता, पत्नी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता

निवासी: बी-2 जज कम्पाउण्ड सदर झांसी

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री बृम्हानन्द गुप्ता, पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता

निवासी: कोयला नगर कानपुर नगर।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री विनय कुमार शुक्ला, पुत्र श्री रामबदन शुक्ला

निवासी: 350डी ब्लाक पनकी कानपुर नगर।

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रार




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०बी०चन्द्रा० उपनिबंधक जोन-२
कानपुर नगर।उप निबंधक : सदर द्वितीय
कानपुर नगर

BLOCK - G

6.00 MT. WD. ROAD



BLOCK - I

6.00 MT. WD. ROAD

SECOND FLOOR PLAN

BLOCK - H

Handwritten notes:
 6.00 MT
 6.00 MT
 6.00 MT

Handwritten notes:
 6.00 MT
 6.00 MT

Handwritten signature:
 [Signature]

NOTE -

SITE PLAN PREPARED ON THE BASES OF APPROVED LAYOUT PLAN AND ON THE BASIS OF THE ACTUAL SITE DEMARKATION AND AREA PROVIDED AND VERIFIED BY E.E. - 01.

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

SITE PLAN OF KDA SIGNATURE GREENS AT VIKAS NAGAR, KANPUR NAGAR. (BLOCK - H)

AREA STATEMENT :

UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE IN LAND AREA - 42.88 SQ. MT.

- SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. H-201 - 128.80 SQ. MT.
- SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. H-202 - 128.80 SQ. MT.
- SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. H-203 - 128.80 SQ. MT.
- SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. H-204 - 128.80 SQ. MT.

LAND USE - RESIDENTIAL



D/M

Handwritten signature:
 [Signature]

J.E.

Handwritten signature:
 [Signature]

A.E.

Handwritten signature:
 [Signature]

E.E.

Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten signature and date:
 [Signature] 31/07/2020

आवेदन सं०: 202100849069400

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 11482 के पृष्ठ 59 से 78 तक
क्रमांक 11027 पर दिनांक 30/11/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया
।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक ज़ोन-2 कानपुर नगर।

उप निबंधक : सदर द्वितीय

कानपुर नगर

30/11/2021

